रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

PATENT OFFICE BRANCH
19 OCT 1988
8129
BOMBAY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1988/ भाद्र 19, 1910

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1988/BHADRA 19, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 718--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (योजना आयोग) प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) (अननुसचिवीय पद) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक (गैर केन्द्रीय सचिवालीय लिपिक सेवा) के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है योजना आयोग के प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक (गैर केन्द्रीय सचिवालीय लिपिक सेवा) और निम्न श्रेणी लिपिक (गैर केन्द्रीय सचिवालीय लिपिक सेवा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, प्रोग्राम, मूल्यांकन संगठन, योजना (उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

2182 GI/88—1

column 4, for the letters and figures "Rs. 1100-50-1600", the letters and figures "Rs. 3000-100-3500-125-4500" shall be substituted ;

(ii) against serial number 4 relating to the post of Scientific Officer :—

(A) in column 4, for the letters and figures "Rs. 1100-50-1600", the letters and figures "Rs. 3000-100-3500-125-4500" shall be substituted ;

(B) in column 11 for the existing entries against clauses (a) (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent ; or

"(iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and";

(iii) against serial number 5 relating to the post of Information Officer :—

(A) in column 4, for the letters and figures "Rs. 1100-50-1600", the letters and figures "Rs. 3000-100-3500-125-4500" shall be substituted ;

(B) in column 11 for the existing entries against clause (a) (ii) and (iii) the following entries shall be substituted, namely :—

"(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or

(iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent ; and" ;

(iv) against serial number 6 relating to the post of Assistant Information Officer, under column 4, for the letters and figures "Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300", the letters and figures "Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000" shall be substituted ;

(v) against serial number 7 relating to the post of Examiner of Patents and Designs under column 4, for the letters and figures "Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300", the letters and figures "Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000" shall be substituted ;

(vi) against serial number 8 relating to the post of Senior Librarian under column 4, for the letters and figures "Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200" the letters and figures "Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500" shall be substituted ;

[File No. A-12018/5/88-E. IV (i)]

NOTE :—Principal rules were notified vide G.S.R. 855, dated 31-10-1983.

सा.का.नि. 724 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची में,—

(1) सहायक रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,—

(क) स्तंभ 4 में अंक और अक्षर "1100-50-1600 रु." के स्थान पर "3000-100-3500-125-4500 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ 12 में खंड (क) (ii) और (iii) के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(ii) "जिन्होंने 2200—4000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2000—3500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष सेवा की है; और

(2) ज्येष्ठ परीक्षक व्यापार चिन्ह से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने,—

(क) स्तंभ 4 में अंक और अक्षर "700-40-900-द.रो.-40-1100-50-1300 रु. के स्थान पर "2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ 12 में, खंड (क) (ii) और (iii) के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(ii) जिन्होंने 2000—3500 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 1640—2900 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; और

(3) परीक्षक व्यापार चिन्ह के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने—

स्तंभ 4 के नीचे अंक और अक्षर "650-30-740-35-810-द. रो. 35-880-40-1000-द. रो.-40-1200 रु." के स्थान पर "2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु. अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक के सामने,—

(क) स्तंभ 4 में अंक और अक्षर "650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-1000-40-1200 रु. के स्थान पर "2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ 12 में खंड (क) (ii) और (iii) के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"(ii) जिन्होंने 1640—2900 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 1400—2300 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष सेवा की है; और"

[फा.सं. ए-12018/5/88-स्था. VI (ii)]

चरणदास, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 13, तारीख 1-12-1981 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

G.S.R. 724.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Trade Marks Registry (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1981 :—

(i) against serial number 3 relating to the post of Assistant Registrar of Trade Marks,

(A) in column 4, for the letters and figures "Rs. 1100-50-1600", the letters and figures "Rs. 3000-100-3500-125-4500" shall be substituted ;

(B) in column 12, for the existing entries against clause (a) (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent ; or

(iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent ; and ",

(ii) against serial number 4 relating to the post of Senior Examiner of Trade Marks,—

(A) in column 4, for the letters and figures "Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300", the letters and figures "Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000" shall be substituted ;

(B) in column 12, for the existing entries against clause (a), (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent ; or

"(iii) with 5 years' service in the posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent ; and" ;

(iii) against serial number 5 relating to the post of Examiner of Trade Marks, under column 4, for the letters and figures "Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200", the letters and figures "Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500" shall be substituted ;

(iv) against serial number 6 relating to the post of Administrative Officer ;

(A) in column 4, for the letters and figures "Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-40-1200" the letters and figures "Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500" shall be substituted ;

(B) in column 12, for the existing entries against clause (a), (ii) and (iii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent ; or

(iii) with 8 years' service in the scale of Rs. 1400-2300 or equivalent ; and".

[File No. A-12018/5/88-E. IV (ii)]

CHARAN DASS, Under Secy.

(सरकारी उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1988

सा. का. नि. 735 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय (सरकारी उद्यम विभाग) में लेखा अधिकारी के समूह "ख" राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय (सरकारी उद्यम विभाग) लेखा अधिकारी भर्ती नियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।